रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 271] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 1997/आषाढ़ 17, 1919

No. 271] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 1997/ASADHA 17, 1919

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1997

सा. का. नि. 370(अ).— केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (संशोधन) नियम, 1997 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटेरी नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं – कोई व्यक्ति नोटेरी के रूप में नियुक्ति का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसी नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख को,—

(क) वह कम से कम दस वर्ष से विधि व्यवसायी के रूप में व्यवसाय किया हो; या

(ख) वह केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो; या

(ग) वह कम से कम दस वर्ष के लिए निम्नलिखित रहा हो,—

(i) न्यायिक सेवा का सदस्य; या

(ii) अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेदन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा पद धारण करता हो जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो।

(iii) जज [redacted]ट जनरल के विभाग या सशस्त्र बलों के विधि विभाग में कोई पद धारण करता हो।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(II) नियम 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्ररूप के अनुसार और उक्त नियम के खंड (ख) और ,खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा प्ररूप II के अनुसार अभ्यावेदन किया जाएगा;

(3) नियम 3 के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का अभ्यावेदन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा :—

(क) मजिस्ट्रेट

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रबंधक

(ग) वणिक, और

(घ) ऐसे स्थानीय क्षेत्र के दो प्रमुख निवासी, जिसमें आवेदक नोटेरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है।"

4. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (2) के खंड (क) का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9. व्यवसाय और क्षेत्र के विस्तारण का प्रमाणपत्र जारी करने और उसका नवीकरण करने के लिए फीस,—व्यवसाय और क्षेत्र के विस्तारण का प्रमाणपत्र जारी करने और उसका नवीकरण करने के लिए, फीस निम्नानुसार होगी :—

(क) व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए	- 1000 रुपए
(ख) व्यवसाय के क्षेत्र का विस्तारण करने के लिए	- 750 रुपए
(ग) व्यवसाय प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए	- 500 रुपए
(घ) व्यवसाय प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	- 300 रुपए"

6. उक्त नियमों के नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10. नोटेरी कार्य करने के लिए नोटेरी को संदेय फीस - (1) प्रत्येक नोटेरी नीचे उल्लिखित दर से अनधिक फीस प्रभारित कर सकेगा; अर्थात् :—

(क) लिखत लिखने के लिए :	
यदि लिखत की राशि 10 हजार रुपए से अनधिक है;	25 रुपए
यदि राशि 10 हजार रुपए से अधिक है किन्तु 25 हजार रुपए से अनधिक है;	50 रुपए
यदि राशि 25 हजार रुपए से अधिक है किन्तु 50 हजार रुपए से अनधिक है;	75 रुपए
यदि यह 50 हजार रुपए से अधिक है;	100 रुपए
(ख) लिखित की अभ्यापत्ति के लिए :—	
यदि लिखत की राशि 10 हजार रुपए से अनधिक है;	25 रुपए
यदि राशि 10 हजार रुपए से अधिक है,किन्तु 25 हजार रुपए से अनधिक है;	50 रुपए
यदि राशि 25 हजार रुपए से अधिक है किन्तु 50 हजार रुपए से अनधिक है;	75 रुपए
यदि राशि 50 हजार रुपए से अधिक है किन्तु एक लाख रुपए से अनधिक है;	75 रुपए
यदि राशि एक लाख रुपए से अधिक है	100 रुपए
(ग) आदरणार्थ संदाय की घोषणा के अभिलेखन के लिए	50 रुपए
(घ) अभ्यापत्तियों की दूसरी प्रतियों के लिए;	मूल[redacted]र का आधा

(ड.) किसी लिखत के निष्पादन के सत्यापन अधिप्रमाणन, प्रमाणन या अनुप्रमाणन के लिए	10 रुपए
(च) स्वीकार करने, संदाय करने या बेहतर प्रतिभूति की मांग करने के लिए किसी वचनपत्र, हुंडी या विनिमयपत्र प्रस्तुत करने के लिए	25 रुपए
(छ) शपथ दिलाने या ग्रहण करने के लिए	10 रुपए
(ज) भारत या भारत के बाहर प्रभावी होने के लिए आशयित कोई लिखत ऐसे प्ररूप और ऐसी भाषा में तैयार करने के लिए जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसा विलेख प्रवर्तित होने के लिए आशयित है;	100 रुपए
(झ) भारत या भारत के बाहर प्रभावी होने के लिए आशयित कोई लिखत ऐसे प्ररूप और ऐसी भाषा में अनुप्रमाणित या अधिप्रमाणित करने के लिए जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसा विलेख प्रवर्तित होने के लिए आशयित है;	100 रुपए
(ञ) किसी दस्तावेज को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने और उस अनुवाद का सत्यापन करने के लिए;	50 रुपए
(ट) पोत की अभ्यापत्ति या डेमरेज और अन्य वाणिज्यिक मामलों से संबंधित अभ्यापत्ति लिखने और तैयार करने के लिए;	100 रुपए
(ठ) दस्तावेज की प्रतियों को उसकी मूल प्रतियों को सही रूप में प्रमाणित करने लिए	5 रुपए
(ड) कोई अन्य नोटरी कार्य करने के लिए	ऐसी राशि जो समुचित सरकार समय-समय पर नियत करें;

(2) नोटेरी द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस की दरें उसके कक्ष या कार्यालय के भीतर और साथ ही बाहर किसी सहजदृश्य स्थान पर संप्रदर्शित की जाएगी।

(3) उपरोक्त फीस के अतिरिक्त कोई नोटेरी 5 रुपए प्रति किलो मीटर की दर पर यात्रा भत्ता सड़क या रेल द्वारा ले सकेगा;

7. उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"12. प्रत्येक नोटेरी 5 से०मी० के व्यास वाली सादी गोल मुद्रा का उपयोग करेगा जो नीचे रेखाचित्र में दी गई है, जिसमें अपना नाम, उस क्षेत्र का नाम जिसके भीतर उसे अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और मेरे में "नोटेरी" तथा उस सरकार का नाम जिसने उसे नियुक्त किया है, होगा।

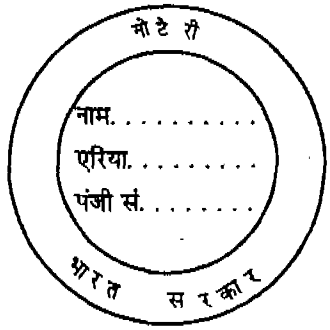

8. उक्त नियमों के नियम 13 के उपनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

''7 इस नियम के अधीन नोटेरी को जारी प्रत्येक नोटिस उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। यदि कोई ऐसा नोटिस इस पृष्ठांकन को उपदर्शित करते हुए कि संबोधिती ने नोटिस को स्वीकार करने से ईकार कर दिया है, या यह नोटिस को प्रेषण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर बिना तामील हुए वापस नहीं जाती है तो नोटिस नोटेरी को सम्यक् रूप से तामील हुई समझी जाएगी।''

9. उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

प्रारूप 1

[नियम 4(2) देखिए]

अभ्यावेदन

1. आवेदक का नाम . . . .

2. पिता का नाम . . . .

3. जन्म की तारीख . . . .

4. आवासीय पता . . . .

. . . .

पिन कोड . . . .

टेलीफोन . . . . फैक्स . . . .

चैम्बर . . . .

. . . .

टेलीफोन . . . . फैक्स . . . .

फोटोप्रति

5. शैक्षिक अर्हताएं (कृपया फोटोप्रतियां संलग्न करें) :

6. अभ्यावेदन की तारीख (कृपया फोटोप्रतियां संलग्न करें) :

7. निम्नलिखित में व्यवसाय :

सिविल पक्ष, दांडिक पक्ष, कराधान, राजस्व न्यायालय

8. क्या आय-कर निर्धारिती है :

अभ्यावेदन (आवेदक का नाम) . . . . के हस्ताक्षर . . . . (स्पष्ट अक्षरों में)

निम्नलिखित उल्लेख करता हूं :—

(1) कि अभ्यावेदक नोटेरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 के नियम 3 के खण्ड (क) के अधीन नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति है।

(2) कि अभ्यावेदक ने . . . . में (यहां स्थानीय क्षेत्र का नाम, न्यायालय का नाम जहां वह व्यवसाय करना चाहता है, उल्लिखित करें) निवास किया है और . . . . (अवधि उल्लेख करें) तक की अवधि के लिए निवास करेगा।

(3) कि स्थानीय क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे नोटेरियों की पूर्वोक्त संख्या वहां की आवश्यकतानुसार पर्याप्त नहीं है (कथन के आधार संलग्न करें)।

4. कि पूर्ववर्ती छह मास के भीतर अभ्यावेदक का पूर्व आवेदन अस्वीकृत नहीं किया गया है या उसके द्वारा वापस लिया गया है।

अत: अभ्यावेदक प्रार्थना करता है कि नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) नोटरी नियम, 1956 के नियम 3 के खंड (क) के अधीन सरकार . . . . (यहां स्थानीय क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें) में व्यवसाय करने के लिए उसे नोटेरी के रूप में नियुक्त करने और सम्मिलित करने की कृपा करें।

तारीख . . . . .19 का. . . . . .दिन

हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम और पते	वृत्ति	फर्म/संगठन का नाम और पता	आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण : नियम 4(3) के अधीन अभ्यावेदन किसी मजिस्ट्रेट राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक; वर्णिक और उस क्षेत्र के दो प्रमुख निवासियों द्वारा जहां नोटेरी व्यवसाय करना चाहता है, प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए

10. उक्त नियमों के प्ररूप II ख के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

प्ररूप II ख
[नियम 8 (5) देखिए]
.... सरकार
(संप्रतीक)
व्यवसाय—प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. .... निवास को नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) के अधीन नोटेरी के रूप में नियुक्त किया जाता है और उन्हें नोटेरी के रूप में सम्पूर्ण .... में व्यवसाय करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर से और सरकार की मुद्राधीन तारीख .... को दिया गया।

सचिव
भारत सरकार/.................. सरकार
(राज्य सरकार का नाम)

[फा. नं. 5(15)/94–न्यायिक]
अजय सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 1997

G.S.R. 870(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 1997.
   (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3. Qualifications for appointment as a notary. No person shall be eligible for appointment as a notary unless on the date of the application for such appointment,—

(a) he had been practising at least for ten years as a legal practitioner, or
(b) he had been a member of the Indian Legal Service under the Central Government, or
(c) he had been at least for ten years,—
   (i) a member of Judicial Service; or
   (ii) held an office under the Central Government or a State Government requiring special knowledge of law after enrolment as an advocate; or
   (iii) held an office in the department of Judge Advocate General or in the legal department of the armed forces.".

3. In rule 4 of the said rules, for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely :—

"(2) The memorial shall be drawn by a person referred to in clause (a) of rule 3 in accordance with Form I and by a person referred to in clauses (b) and (c) of the said rule in accordance with Form II.

(3) The memorial of a person referred to in clause (a) of rule 3 shall be signed by the applicant and shall be countersigned by the following persons :—

(a) a Magistrate;
(b) a Manager of a nationalised bank;
(c) a merchant; and
(d) two prominent inhabitants of the local area within which the applicant intends to practise as a notary.".

4. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (2), clause (a) shall be omitted.

5. For rule 9 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"9. Fees for issue and renewal of certificate of practice and extension of area. The fees for issue and renewal of certificate of practice and extension of area shall be as under,—

(a) issue of certificate of practice—Rs. 1000;
(b) extension of area of practice—Rs. 750;
(c) renewal of certificate of practice—Rs. 500;
(d) issue of a duplicate certificate of practice—Rs. 300.".

6. For rule 10 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"10. Fees payable to a notary for doing any notarial act.—(1) Every notary may charge fees not exceeding the rates mentioned below, namely:—

(a) for noting an instrument :

if the amount of the instrument does not exceed rupees 10,000	— Rs. 25
if it exceeds rupees 10,000 but does not exceed rupees 25,000	— Rs. 50
if it exceds rupees 25,000 but does not exced rupees 50,000	— Rs. 75
if it exceds rupees 50,000	— Rs. 100

(b) for protesting an instrument :

if the amount of the instrument does not exceed rupees 10,000	— Rs. 25
if it exceeds rupees 10,000 but does not exceed rupees 25,000	— Rs. 50
if it exceeds rupees 25,000 but does not exceed rupees 50,000	— Rs. 75
if it exceeds rupees 50,000 but does not exceed rupees 1,00,000	— Rs. 75
if it exceds rupees 1,00,000	— Rs. 100

(c) for recording a declaration of payment for honour	**— Rs. 50**
(d) duplicate protests	— half the charge of original
(e) for verifying, authenticating, certifying or Attesting the execution of any instrument.	— Rs. 10
(f) for presenting any promissory note, hundi or bill of exchange for acceptance or payment or demanding better security.	— Rs. 25
(g) for administering oath to, or taking affidavit from any person	— Rs. 10
(h) for preparing any instrument intended to take effect in any country or place outside India in such form, and language as may conform to the law of the place where such deed is intended to operate.	— Rs. 100
(i) for attesting or authenticating any instrument to take effect in any country or place outside India in such form and language as may conform to the law of the place where such deed is intended to operate.	— Rs. 100
(j) for translating and verifying the translation of any document from one language to another.	— Rs. 50

(k) for noting and drawing up ship's protest, protest or relating to demurrage and other commercial matters.	— Rs. 100
(l) for certifying copies of document as true per page Copies of the original.	—Rs. 5
(m) for any other notarial act	such sum as the appropriate Government may fix from time to time.

(2) The rates of fees to be charged by a notary shall be displayed by him in conspicuous place inside as well as outside his chamber or office.

(3) In addition to the above fees, a notary may charge the travelling allowance by road or by rail at the rate of rupees five per kilometre.".

7. For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"12. Seal of notary.—Every notary shall use a plain circular seal of a diameter of 5 cm. as indicated by a drawing given below, bearing his name, the name of the areas within which he has been appointed to exercise his functions, the registration number and the circumscription "NOTARY", and the name of the Government which appointed him"

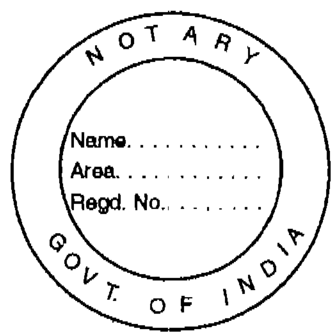

8. In rule 13 of the said rules, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(7) Every notice issued to a notary under this rule shall be sent to him by registered post. If any such notice is returned unserved with an endorsement indicating that the addressee has refused to accept the notice or the notice is not returned unserved within a period of thirty days from the date of its despatch, the notice shall be deemed to have been duly served upon the notary.".

9. In the said rules, for Form I, the following Forms shall be substituted, namely :—

"FORM I

[See rule 4(2)]

Memorial

1. Name of the applicant . . . .
2. Father's name . . . .
3. Date of birth . . . .
4. Address (Residence) . . . .

. . . .

Pin . . . .

Telephone . . . . Fax . . . .

Photograph

Address (Office) . . . .

. . . .

5. Educational qualifications (Please attach photocopies) ....
6. Date of enrolment (Please attach photocopies) ....
7. Practising in :
   Civil side : ....
   Criminal side : ....
   Taxation ....
   Revenue Courts : ....

8. Whether Income-tax Assesee :

The memorial of (name of the applicant) showeth ....(in block letters) ....

1. that the memorialist is a person eligible for appointment as a notary under the Notaries Act, 1952, and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956;
2. that the memorialist has resides in .... (here state the name of the local area or name of court where he intends to practise) and will reside for upwards of...................... (state how long);
3. that the number of notaries practising in the local area is insufficient for the requirements thereof (the grounds of the statement should be added);
4. that no previous application of the memorialist has been rejected or withdrawn by him, within the preceding six months;

The memorialist, therefore, prays that the Government be pleased to appoint and admit him as a notary under and by virtue of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and clause (a) of rule 3 of the Notaries Rules, 1956 to practise in .... (here state the name of the local area).

Dated :................. day of................ 19 Signature of the applicant

Name and address of signatories	Profession	Name and address of the firms/organisation	Signature

Note : Under rule 4(3) the memorial should be countersigned by a magistrate, a manager of a nationalised bank, a merchant and two prominent inhabitants of the area where he intends to practice as a notary.

FORM II

[See rule 4(2)]

1. Name ....
2. Father's name ....
3. Date of birth ....
4. Residence Address ....
   ....
   ....
   (Office) ....
   ....

Photograph

5. Educational Qualification ....

6. Date of joining Government Service.......................................

7. Date of retirement ....

8. Post held at the time of retirement.......................................

Signature

Note : Necessary proof about eligibility under rule 3(b) and (c) of the Notaries Rules, 1956 is to be attached. Rule 3(b) and (c) are as follows :—

"3. Qualifications for appointment as a notary.—No person shall be eligible for appointment as a notary unless on the date of the application for such appointment,—

(a) ....

(b) he had been a member of the Indian Legal Service under the Central Government, or

(c) he had been at least for ten years;

(i) a member of Judicial Service; or

(ii) held an office under the Central Government or a State Government requiring special knowledge of law after enrolment as an advocate;

(iii) held an office in the department of Judge Advocate General or in the legal department of the armed forces.".

10. In the said rules, for Form II-B the following Form shall be substituted, namely :

FORM II–B

[See rule 8(5)]

GOVERNMENT OF ....

(Emblem)

CERTIFICATE OF PRACTICE

Certified that .... Son/daughter/wife .... of .... resident of .... has been appointed as a notary under the Notaries Act 1952 (53 of 1952) and is authorised to practise as such in and throughout . ... for a period of five years ....

Given under my hand and seal of the Government of .... this .... day of ....

Secretary to the Government of India/
Government of ....
(Name of the State)

[F. No. 5(15)/94-Judl.]

AJOY SINHA, Jt. Secy. and Legal Adviser

1677 GI/97-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997